राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/18/20968 जयपुर, दिनांकः– 06/11/18

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिकाऐ
समस्त राजस्थान।

विषयः–विधानसभा आम चुनाव आचार संहिता दौरान किये जाने वाले कार्य।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि विधानसभा आम चुनाव आचार संहिता के दौरान निम्न कार्य नगरीय निकायो द्वारा नियमानुसार किये जा सकते हैः–

1. अधिनियम की धारा 194 के तहत नया भवन निर्मित करने, भवन को पुन निर्मित करने या भवन में तात्विक परिवर्धन करना आदि की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत भवन मानचित्र आवेदन को अधिनियम मे निर्धारित समयावधि 2 माह में निस्तारित करना।
2. पूर्व में स्वीकृत आवासीय/व्यवसायिक योजनाओ मे नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डो में आवंटी/केता द्वारा यदि सभी देय भुगतान कर दिये हो तो पटटा जारी करना।
3. कृषि भूमि नियमन, निर्माण स्वीकृति, नामान्तरण आदि की सक्षम स्वीकृति के बाद पूर्ण राशि जमा हो गई हो तो पटटा/स्वीकृति पत्र जारी करना।
4. पूर्व में स्वीकृत विकास कार्य जिन पर कार्य शुरू हो गया है ऐसे कार्य जारी रखना।
5. प्रस्तावित प्रोजेक्टस/निर्माण कार्यो की डी.पी.आर तैयार करवाना व उनका परीक्षण करते हुये अनुमोदन/अप्रेजल की कार्यवाही करना।
6. ड्राईग, डिजाईन व विस्तृत एस्टीमेट तैयार करना।
7. स्वीकृत कार्य की लागत के आधार पर टेण्डर डॉक्यूमेंट तैयार करना व एमओयू का प्रारूप तैयार करना।
8. पूर्व में स्वीकृत विकास कार्य, जिन पर कार्य शुरू हो गया हो, ऐसे कार्य जारी रखना।
9. जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार तात्कालिन आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य करवाना।
10. भूमि विकय/नियमन के विधिसम्मत जारी किये गये पटट्ो का पंजीयन नहीं होने पर ऐसे पटट्ो का पुनर्वेध/नवीनीकरण करके पंजीकरण कराने का कार्य।
11. पटट्ो के नामान्तरण का कार्य।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः–प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/18/21161-21164 जयपुर, दिनांकः– 06/11/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय,
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
4. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D/madan li/Letter